रजिस्टर्ड नं0–ए0डी0–4
लाइसेन्स सं0– डब्ल्यू0पी0–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 26 मार्च, 2005 ई0 (चैत्र 5, 1927 शक संवत्)

भाग–3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, खण्ड़–क––नगरपालिका परिषद्, खण्ड़–ख––नगर पंचायत, खण्ड–ग––निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड़–घ––जिला पंचायत।

### खण्ड़–घ––जिला पंचायत

**17 फरवरी, 2005 ई0**

सं0 503/23–62/2000–02–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, बुलन्दशहर ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी दुकानों आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई उपविधियों को निरस्त कर नई उपविधियां बनाई हैं, जिनकी पुष्टि मैं, राजीव कुमार, आयुक्त, मेरठ मण्ड़ल मेरठ ने की है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा–242 (2) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

### उपविधियाँ

**परिभाषायें**–– 1––यह उपविधियां दुकान नियंत्रण उपविधियां कहलायेंगी।

2––इन उपविधियों के प्रयुक्त होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित उपविधियां निरस्त समझी जायेंगी ।

3––यह उपविधियां उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगी ।

4––यह उपविधियां जनपद बुलन्दशहर के समस्त ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभावी होंगी।

5–– **"ग्रामीण क्षेत्र"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) में दी गई परिभाषा से है ।

6––**"स्वामी"** का तात्पर्य मालिक, साझीदार अथवा उस व्यक्ति से है, जो किसी भी समय दुकान का विक्रय का कार्य कर रहा हो ।

7––कोई भी व्यक्ति जनपद बुलन्दशहर के ग्रामीण क्षेत्र में दुकान का कार्य तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसने इन उपविधियों के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र प्राप्त न कर लिया हो ।

8––अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कार्यालय से 5.00 रू0 मूल्य पर प्राप्त होगा । अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर लाइसेन्स अधिकारी होंगे तथा उनको यह अधिकार होगा कि वह यह अधिकार कार्य अधिकारी को सौंप दें ।

9––अनुज्ञा–पत्रधारी दुकान पर एक सूचना–पट लगायेगा, जिस पर दुकान के स्वामी का नाम व पूरा पता लिखा होगा तथा उस पर विक्रय होने वाली वस्तुओं की सूची स्टाक व मूल्य अंकित कर अपने हस्ताक्षर करेगा । सूचना–पट एक मीटर लम्बा व आधा मीटर चौड़ा होगा। अनुज्ञा–पत्रधारी, अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक अथवा अन्य उस अधिकारी व कर्मचारी को जो इस सम्बन्ध में अधिकृत किया गया हो, को विक्रय स्थान के निरीक्षण करने की पूरी सुविधा देगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बुलन्दशहर

10---संक्रामक, सांसर्गिक अथवा घृणास्पद रोग के रोगी को अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

11---18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

12---दुकान के किसी पाखाना, पेशाबघर, नाला व कूड़ा आदि से 50 मीटर के अन्दर अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

13---अनुज्ञा–पत्रधारी दुकान को प्रत्येक समय स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद रखेगा।

14---अनुज्ञा–पत्रधारी को एक निरीक्षण पंजिका रखना अनिवार्य होगा क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से अभिप्रमाणित हो ताकि निरीक्षणकर्ता अधिकारी दुकान के निरीक्षण के समय इस निरक्षण पंजिका में अपना निरीक्षण पंजीकृत कर सकें ।

15---निरीक्षणकर्ता को अधिकार होगा कि वह विक्रय होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का नमूना रासायनिक परीक्षणार्थ ले सकते हैं ।

16---स्वास्थ्य अधिकारी के मतानुसार यदि खाद्य एवं पेय पदार्थ स्वास्थ्यप्रद न रहा हो, तो ऐसे खाद्य एवं पेय पदार्थ को नष्ट करने का आदेश दे सकते हैं, जिसे अनुज्ञा–पत्रधारी को नष्ट करना होगा तथा उसका कोई प्रतिकर आदि भी उसको नहीं मिलेगा ।

17---मांस का अर्थ सींगदार पशु, बकरा, बकरी, भेड़ सुअर, मछली व पक्षी के मांस से है, जो मनुष्य अथवा पशु उपयोग के लिए हो । कोई व्यक्ति ऐसे पशु अथवा जानवर का मांस विक्रय नहीं करेगा, जिसकी किसी अप्राकृतिक कारण से मृत्यु हुई हो । गौवंशीय मांस विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

18---मांस विक्रय स्थान का फर्श पक्का होना आवश्यक है तथा प्रत्येक दिन कार्य करने से पहले व बाद उसकी पूर्णतः सफाई आवश्यक है ।

19---मांस विक्रय स्थान प्रत्येक समय बांस की चिक से ढ़का होना आवश्यक है तथा मांस जाली में शीशे के सोकेश में रखा होना आवश्यक है, जिससे उस पर मक्खियां आदि न बैठे तथा आने–जाने वाले व्यक्तियों को दिखाई न दे। मांस विक्रय स्थान की दीवारों पर प्रत्येक माह सफेदी कराना आवश्यक है ।

20---अनुज्ञा–पत्र की अवधि एक वर्ष होगी। वर्ष एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि लाइसेन्स वर्ष की कालविधि में प्राप्त किया गया है तो भी आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जायेगा।

21---लाइसेन्स अधिकारी को अधिकार होगा कि वह इन उपविधियों का आंशिक व पूर्णरूपेण उल्लंघन करने की दशा में अनुज्ञा–पत्र निलम्बित अथवा निरस्त कर सकते हैं।

22---लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरूद्ध 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष को अपील की जा सकती है, अध्यक्ष का आदेश अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

23---इन उपविधियों के एक प्रति अनुज्ञा–पत्र निर्गत करते समय अनुज्ञा–पत्रधारी को देय होगी, जिसे वह दुकान के अन्दर लगायेगा ।

24---अनुज्ञा–पत्र प्रतिवर्ष 30 जून तक नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, यदि अनुज्ञा–पत्रधारी अपना कार्य जारी रखना चाहता है । यदि अनुज्ञा–पत्रधारी आगे कार्य जारी नहीं रखना चाहता है, तो अनुज्ञा–पत्र की अवधि समाप्त होते ही लाइसेन्स अधिकारी को लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी । 30 जून के उपरान्त अनुज्ञा–पत्र शुल्क का 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क सहित नवीनीकरण कराया जा सकेगा ।

25---इन उपविधियों के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुज्ञा– पत्र शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा :

| क्रम सं0 | व्यवसाय का विवरण | वार्षिक लाइसेन्स शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रू0 |
| 1 | कपड़े की दुकान | 150.00 |
| 2 | कपड़े धोने की दुकान | 100.00 |
| 3 | हलवाई, मिष्ठान,खांड,बूरा बतासे की दुकान | 150.00 |
| 4 | चाय अथवा बीड़ी सिगरेट, पान की दुकान | 60.00 |
| 5 | ढाबा, रोटी बनाने की दुकान | 150.00 |
| 6 | रेस्टोरेन्ट एवं होटल | 200.00 |
| 7 | बिस्कुट, केक, डबलरोटी बनाने की दुकान | 200.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बुलन्दशहर

| क्रम सं0 | व्यवसाय का विवरण | वार्षिक लाइसेन्स शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रू0 |
| 8 | ठन्डे पेय पदार्थों की दुकान | 100.00 |
| 9 | बाल काटने की दुकान | 40.00 |
| 10 | परचून की दुकान | 100.00 |
| 11 | किराने की दुकान | 150.00 |
| 12 | बिसातखाने की दुकान | 100.00 |
| 13 | बरतन की दुकान | 150.00 |
| 14 | चीनी, मिट्टी तेल व सस्ते गल्ले की दुकान | 150.00 |
| 15 | पुस्तक, स्टेशनरी की दुकान | 100.00 |
| 16 | दवाई की दुकान | 150.00 |
| 17 | हकीम, वैद्य, डाक्टरी की दुकान | 100.00 |
| 18 | नर्सिंग होम एवं प्रसूति गृह | 200.00 |
| 19 | अनाज खल, बिनौला व चूरी की दुकान (जिसमें कुल सामान 10 कुन्तल से अधिक न हो) | 150.00 |
| 20 | अनाज खल, बिनौला व चूरी की दुकान (जिसमें कुल सामान 10 कुन्तल से अधिक हो) | 200.00 |
| 21 | जूते की दुकान | 100.00 |
| 22 | इमारती लोहे की दुकान | 200.00 |
| 23 | इमारती लकड़ी की दुकान | 200.00 |
| 24 | सोने चांदी के आभूषणों की दुकान | 150.00 |
| 25 | कृषि सम्बन्धी मशीनरी यंत्र की दुकान | 100.00 |
| 26 | साइकिल मरम्मत की दुकान | 50.00 |
| 27 | नल, ट्यूबवेल बोरिंग करना | 100.00 |
| 28 | इंजन, ट्रैक्टर, मशीनरी मरम्मत करना | 100.00 |
| 29 | बोगी, बैलगाडी आदि बनाने की दुकान | 100.00 |
| 30 | फोटोग्राफर की दुकान | 100.00 |
| 31 | चटाई, मूढ़े आदि बनाने की दुकान | 50.00 |
| 32 | सर्विस स्टेशन | 500.00 |
| 33 | सीमेन्ट अथवा खाद्य की दुकान | 300.00 |
| 34 | कीटनाशक दवाईयों की दुकान | 100.00 |
| 35 | बीज की दुकान | 100.00 |
| 36 | लोहे के स्क्रेप आदि का भण्ड़ार | 200.00 |
| 37 | टेंट एवं क्राकरी की दुकान | 250.00 |
| 38 | फर्नीचर की दुकान | 250.00 |
| 39 | घड़ी की दुकान | 50.00 |
| 40 | रेड़ियो की दुकान | 80.00 |
| 41 | टेलीविजन मरम्मत की दुकान | 50.00 |
| 42 | फल एवं सब्जी की दुकान | 100.00 |
| 43 | घी की दुकान | 80.00 |
| 44 | सिलाई की दुकान | 50.00 |
| 45 | बैंडबाजा की दुकान | 250.00 |
| 46 | सभी प्रकार के छविगृह | 1500.00 |
| 47 | पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प | 1500.00 |
| 48 | पेट्रोल एवं डीजल (पेट्रो डीलर) | 200.00 |
| 49 | अंग्रेजी व देशी शराब की दुकान | 5000.00 |
| 50 | अफीम, गांजा, भांग, ताडी, चरस, डौडे, पोस्त की दुकान | 200.00 |

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बुलन्दशहर

| क्रम सं0 | व्यवसाय का विवरण | वार्षिक लाइसेन्स शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रू0 |
| 51 | स्कूटर एवं ट्रैक्टर एवं अन्य आटो एजेन्सी | 1000.00 |
| 52 | गैस गोदाम | 1000.00 |
| 53 | कमीशन/ट्रांसपोर्ट एजेन्सी | 200.00 |
| 54 | टीन के बक्शे, अलमारी एवं कुर्सी–मेज आदि की दुकान | 200.00 |
| 55 | कोयले का डिपो | 250.00 |
| 56 | खड्डी (प्रत्येक) | 100.00 |
| 57 | लकड़ी की टाल | 150.00 |
| 58 | रोड़ी, रेत, बदरपुर व बाँस–बल्ली की दुकान | 230.00 |
| 59 | बिजली की मोटर पंखे बाँधने की दुकान | 120.00 |
| 60 | स्कूटर, मोटर साइकिल आदि मरम्मत की दुकान | 150.00 |
| 61 | रेड मेन्ट गारमेन्ट की दुकान | 150.00 |
| 62 | फरस वाला कार्य | 250.00 |
| 63 | किसी भी सामान की आढ़त की दुकान | 200.00 |
| 64 | अंडे आदि बेचने की दुकान | 100.00 |
| 65 | गैस चूल्हा, पैट्रोमैक्स, स्टोप की दुकान | 100.00 |
| 66 | दूध की डेरी (बड़ी) | 500.00 |
| 67 | दूध की डेरी (छोटी) | 200.00 |
| 68 | मावा बनाने की दुकान | 200.00 |
| 69 | क्रीम निकालने की मशीन | 200.00 |
| 70 | हार्डवेयर की दुकान | 200.00 |
| 71 | मांस विक्रय की दुकान | 350.00 |
| 72 | सीमेंट, जाली, पाइप, पिलर आदि सामान बनाना | 150.00 |
| 73 | टाईप सैन्ट एवं फोटोस्टेट | 150.00 |
| 74 | पब्लिक काल आफिस | 100.00 |
| 75 | घोड़ा–ताँगा या घोड़ी बोगी या खड़खड़ा | 40.00 |
| 76 | उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दुकान/व्यवसाय | 100.00 |

## दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देता है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्ड़नीय होगा, जो रूपये 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, तो रूपये 50.00 प्रतिदिन तक दण्ड़ दिया जा सकेगा । जुर्माना अदा न करने की दशा में तीन माह तक के कारावास का दण्ड़ दिया जा सकेगा ।

राजीव कुमार
आयुक्त
मेरठ मण्ड़ल मेरठ।

पी0एस0यू0पी–37 हिन्दी गजट–भाग–3–2012 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन–सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बुलन्दशहर